

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जोरहासीय
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) केवली जुरा
कैंप कोर्ट का स्थान :- केवली जुरा

राजीनामा

दिनांक 24-6-16

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
S.D. जोरहासीय केवली जुरा
बनाम श्री. वि. वि.
प्रकरण संख्या :- 225/15 अन्तर्गत धारा 100 RT Act

महोदय,
उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री यु. प्र. श्री
का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

प्राथमिक विवाद के समाप्त होने की प्रतीति के रूप में प्रार्थी एवं प्रतिवादी पक्ष के बीच कोई भी विवाद नहीं रहेगा।
प्रतिवादी पक्ष का नाम श्री. वि. वि. है जो प्रार्थी के नाम पर है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. श्री. वि. वि.
2. श्री. वि. वि.
3.
4.

प्रतिवादी पक्ष 1. श्री. वि. वि.
2.
3.
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी श्री यु. प्र. श्री एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी श्री. वि. वि.
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(
पीठासीन अधिकारी